न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 113/2023

अनवान : –

1. गुरदयाल पुत्र रूलीराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. आईदान पुत्र रूलीराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. रूलीराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. राकेश पुत्र रूलीराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 12/2/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के ख0न0 221/231 की कुल 37.3320 हैक्ट भूमि के सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 4 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में से सायल अकेला 1/12 हिस्सा, गैरसायल संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 अकेला 1/2 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3 अकेला 1/4 हिस्सा, गैरसायल संख्या 4 अकेला 1/12 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 4 का खाता मुश्तरका है सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि समतल व उपजाउ बना रखा है तथा सायल ने परिश्रम व मेहनत करके उक्त वाद भूमि को समतल बनाया है। सायल के हक हिस्सा की भूमि अच्छी किस्म की होने के कारण गैरसायलान से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। इसलिए सायल अपना खाता व लगान गैरसायलान से अलग अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

सायल व गैरसाायलान का खाता मुश्तरका है तथा की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए सायल गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:04 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है ... गैरसायलान के खिलाफ इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे की ... रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के ख0न0 221/231 की कुल 37.3320 हैक्ट भूमि ... खाता व लगान

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अलग नही हो जाता तब तक गैरसायलान वाद भूमि को कोई भागर रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। मौजा रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के ख0न0 221/231 की कुल 37.3320 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के किसी विशेष ख0न0 का बेचना नही करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की तरफ से श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि में प्रार्थीया का पिता एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज है। दावा खाता विभाजन का है अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खसरा संख्या 221/231 की कुल 37.3320 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। वाद भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है अप्रार्थीगण सिर्फ अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन व बैय कर रहे है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 30.05.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:03:04 IST
Reason: SelfAttested